

# डी.पी. विप्र कॉलेज बिलासपुर वाणिज्य विभाग




निवास और कर देयता

Presented by -  
Dr. Khagendra Soni

# परिचय

भारत में किसी व्यक्ति की कर योग्यता किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए भारत में उसकी आवासीय स्थिति पर निर्भर करती है। आवासीय स्थिति शब्द को भारत के आयकर कानूनों के तहत गढ़ा गया है और इसे भारत में किसी व्यक्ति की नागरिकता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है लेकिन किसी विशेष वर्ष के लिए अनिवासी हो सकता है। इसी तरह, एक विदेशी नागरिक किसी विशेष वर्ष के लिए आयकर उद्देश्यों के लिए भारत का निवासी हो सकता है।

## TYPES OF RESIDENTIAL STATUS



# आवासीय स्थिति का निर्धारण कैसे करें?

भारत में आयकर के प्रयोजन के लिए, भारत में आयकर कानून कर योग्य व्यक्तियों को इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं:

- 1) एक निवासी
- 2) एक निवासी जो सामान्य रूप से निवासी नहीं है (आरएनओआर)
- 3) एक अनिवासी (एनआर) करदाताओं की उपरोक्त श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए कर योग्यता अलग है। इससे पहले कि हम कर के दायरे में आएँ, आइए पहले समझें कि एक करदाता एक निवासी, एक आरएनओआर या एक एनआर कैसे बनता है।

# निवासी

एक करदाता भारत के निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा यदि वह निम्नलिखित 2 शर्तों में से एक को पूरा करता है:

- 1) एक वर्ष के लिए भारत में रहना 182 दिन या उससे अधिक या
- 2) तत्काल 4 पूर्ववर्ती वर्षों के लिए भारत में रहना 365 दिन या उससे अधिक है और प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक समय के दौरान एक व्यक्ति रोजगार के लिए भारत छोड़ देता है एक वित्तीय वर्ष में, वह भारत के निवासी के रूप में तभी अर्हता प्राप्त करेगा जब वह 182 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में रहेगा। इसका अन्यथा अर्थ यह है कि 60 दिनों से अधिक की शर्त (बी) उस पर लागू नहीं होगी।

# निवासी सामान्य रूप से निवासी नहीं

यदि कोई व्यक्ति एक निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करता है, तो अगला कदम यह निर्धारित करना है कि क्या वह एक निवासी सामान्य निवासी (आरओआर) या एक आरएनओआर है। यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है तो वह एक आरओआर होगा:

1. तत्काल पिछले वर्षों में 10 में से कम से कम 2 वर्षों में भारत का निवासी रहा हो और
2. तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों में कम से कम 730 दिनों के लिए भारत में रहा है इसलिए, यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त शर्तों में से एक को भी पूरा करने में विफल रहता है, तो वह एक आरएनओआर होगा।

हालांकि, करदाता को वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में आरएनओआर के रूप में तभी माना जाएगा जब वह नीचे उल्लिखित अतिरिक्त शर्तों में से एक को पूरा करता है:

a.) भारत में उसका संचयी प्रवास वर्तमान वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के 7 वित्तीय वर्षों के दौरान 730 दिन या उससे अधिक है या;

ख.) वह चालू वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के पिछले 10 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 भारत में निवासी था

# अनिवासी

व्यक्ति भारत में एनआर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है यदि वह निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उसका संचयी प्रवास 181 दिनों से कम है और भारत में उसका संचयी प्रवास वित्तीय वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक नहीं है, भारत में उसका संचयी प्रवास वित्तीय वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक से अधिक है वर्ष लेकिन पिछले 4 वित्तीय वर्षों के दौरान 365 दिनों या अधिक से अधिक नहीं है

ऐसे परिदृश्य में, मान लीजिए कि श्री सी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में 40 दिनों के लिए रहे, तो वह भारत में 'अनिवासी' (एनआर) के रूप में अर्हता प्राप्त करता है क्योंकि वह ऊपर की 3 शर्तों को पूरा करता है। यदि व्यक्ति के पास एनआर स्थिति है, तो केवल भारत से प्राप्त आय और सीधे भारत के बैंक खाते में प्राप्त आय, कर योग्य होगी

**धन्यवाद**